

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

सहरसा, दिनांक 22-5-2023

ज्ञापांक 1488/विधि
प्रतिलिपि :- (1) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा
आँगनबाड़ी पुनः वाद सं०-91/2021 & 151/2021 में दिनांक-19.05.2023 को
पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे
प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-01/2021 से संबंधित अभिलेख
(कुल-219 पन्ना मूल में) वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती पूजा कुमारी, पति-प्रेम रंजन / श्रीमती कविता कुमारी पति-ललन प्रसाद गुप्ता, दोनों
सा०-हथिऔंथा, वार्ड नं०-01, थाना व पो०-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


आदेश पत्रक - ता०..... से..... तक
 जिला....., सं०....., सन् १९.....
 केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई सुनवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
19/05/2023	<p style="text-align: center;">न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p style="text-align: center;">आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-११/२०२१ एवं १५१/२०२१</p> <p style="text-align: center;">पूजा कुमारी.....अपीलकर्ता</p> <p style="text-align: center;">कविता कुमारी.....अपीलकर्ता</p> <p style="text-align: center;">-बनाम-</p> <p style="text-align: center;">राज्य एवं अन्य.....रेसपॉण्डेन्ट</p> <p style="text-align: center;">--: आदेश :-</p> <p>प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद पूजा कुमारी, पति-प्रेम रंजन, सा०-हथिऔंघा, वार्ड नं०-०१, प्रखंड-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा तथा कविता कुमारी, पति-ललन प्रसाद गुप्ता उर्फ जय प्रकाश गुप्ता, सा०-बढ़ैया, वार्ड नं०-०१, पंचायत-हथिऔंघा, प्रखंड-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-०१/२०२१ श्रीमती कविता कुमारी बनाम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहारीगंज एवं अन्य में दिनांक ०५.०८.२०२१ को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।</p> <p>दिनांक २०.०४.२०२३ को उभय पक्ष की सुनवाई के उपरांत वाद को आदेश पर लिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), मधेपुरा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद आँगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन मार्गदर्शिका-२०१६ से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ की कंडिका-१३ में स्पष्ट वर्णित है कि "जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ३० दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।" बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-१७८० दिनांक ०५.०३.२०२० से</p>	


Jay

सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवारों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि "जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।" उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।



प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।


प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा